<u>डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में कामगारों (**Working Profesional**) के प्रवेश के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों हेतु निर्देश</u>

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश की संस्थाओं में डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम (अंशकालीन) वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एन0आई0सी0 के पोर्टल द्वारा प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये गये थे, जिसके सम्बन्ध में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों द्वारा निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1. प्रवेश के लिए केवल वही अभ्यर्थी अर्ह होंगें, जिन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग वर्किंग प्रोफेशनल पाठ्यक्रम हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया है।
2. अभ्यर्थियों को परिषद के पोर्टल jeecup.admissions.nic.in पर दिनांक 23 जुलाई, 2026 से दिनांक 26 जुलाई, 2026 तक संस्थावार/पाठ्यक्रमवार विकल्प चयन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। विकल्प चयन करते समय अभ्यर्थी शासनादेश दिनांक 17 मार्च, 2026 में वर्णित निम्न नियम का ध्यान अवश्य रखें, अन्यथा उनके द्वारा दिये गये विकल्प पर विचार नहीं किया जायेगाः–

   "केन्द्र/राज्य सरकार के उद्योगों, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एवं एम0एस0एम0ई0 पंजीकृत उद्योगों में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिनका उद्यम प्रवेश के लिए आवेदित संस्था से दूरी 75 किमी0 (AICTE के सर्कुलर दिनांक 10.06.2024 के अनुपालन में परिवर्तित) त्रिज्या में स्थित हो"

   जो अभ्यर्थी विकल्पों का चयन नहीं करेंगे वे प्रवेश के लिए अर्ह नहीं रहेंगे।
3. विकल्प चयन के पश्चात विकल्प–पत्र (Choice Letter) पोर्टल से डाउनलोड कर काउन्सिलिंग के समय उपलब्ध कराना होगा।
4. अभ्यर्थियों को दिनांक 28 जुलाई, 2026 से दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ/राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ में समस्त शैक्षणिक अभिलेख, जाति प्रमाण–पत्र, कार्य–अनुभव प्रमाण–पत्र, अन्य प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो) मूल रूप में, समस्त प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति तथा 02 फोटो के साथ स्वयं उपस्थित होकर अभिलेख सत्यापन कराना होगा।

   जिन अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख सत्यापन नहीं कराया जायेगा, वे प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
5. अभिलेख सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों की मेरिट का निर्धारण किया जायेगा, जिसके नियम निम्न हैं :–

   "संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा कामगारों की मेरिट का निर्धारण अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता एवं कार्यानुभव के आधार पर किया जायेगा। हाईस्कूल के समकक्ष योग्यता में प्रथम श्रेणी के लिए 50 अंक, द्वितीय श्रेणी के लिए 40 अंक तथा तृतीय श्रेणी के लिए 30 अंक प्रदान किये जायेंगे। इंटरमीडिएट अथवा आई0टी0आई0 उर्त्तीण होने पर 10 अंक दिये जायेंगे। कार्यानुभव के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक एवं दो वर्ष से कम अनुभव होने पर 10 अंक प्रदान किये जायेंगे तथा प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 05 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 30 अंकों तक सीमित होंगे। इस प्रकार मेरिट के निर्धारण हेतु अधिकतम अंक 100 होंगे।"
6. कामगारों के प्रवेश हेतु शैक्षिक व कार्यानुभव अर्हता निम्नवत् है :–

   (अ) "इण्टरमीडिएट (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण/भौतिकी/गणित/रसायन/कम्प्यूटर साइंस/इलेक्ट्रॉनिक्स/इनफारमेशन टेक्नोलॉजी/जीव विज्ञान/इनफार्मेटिक्स प्रैक्टिस/बायोटेक्नोलॉजी/टेक्निकल वोकेशनल (प्राविधिक) विषय/एग्रीकल्चर/

इंजीनियरिंग ग्राफिक्स/बिजनेस स्टडीज/इन्टरप्रिनयोरशिप (किन्हीं तीन विषयों में उत्तीर्ण)

या

हाईस्कूल उत्तीर्ण के साथ में दो वर्षीय आई0टी0आई0 उत्तीर्ण"।

तथा

(ब) प्रवेश हेतु आवेदन के समय कामगारों को कम से कम 01 वर्ष का औद्योगिक अनुभव होना अनिवार्य है। (ए0आई0सी0टी0ई0 मानकानुसार)

7. अभिलेख सत्यापन के पश्चात मेरिट, आरक्षण व अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी को संस्था का आवंटन किया जायेगा।
   "जिन संस्थाओं में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के सापेक्ष 33% से कम प्रवेश होंगे, वहाँ शासनादेश में निहित नियमों/प्राविधानों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम चलाया जाना सम्भव नहीं होगा। ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेशित कामगारों का कोई दावा मान्य नहीं होगा।"
8. अभ्यर्थी के संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन एन0आई0सी0 के पोर्टल jeecup.admissions.nic.in पर अभ्यर्थी के लॉगिन में उपलब्ध करा दी जायेगी। अभ्यर्थी को अगले सात दिवस के अन्दर प्रवेश की समस्त औपचारिकताएं यथा—शुल्क जमा करना, मूल अभिलेखों की जाँच, पात्रता की जाँच आदि आवंटित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर अवश्य पूर्ण करानी होगी, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी के प्रवेश के किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में कामगारों के प्रवेश हेतु विस्तृत नियम शासनादेश संख्या—46/2026/आई/1268716/2026/16—3099/12/2019, दिनांक 17 मार्च, 2026 में दियें गये हैं, जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के एन0आई0सी0 के पोर्टल jeecup.admissions.nic.in पर उपलब्ध है।
10. आरक्षण के समस्त नियम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थानों में लागू नियमों के अन्तर्गत रहेंगे।

समय—सारणी

क्रं0सं0	कार्यकलाप	दिवस
1.	अभ्यर्थी द्वारा संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्प पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से दिया जाना	23 जुलाई से 26 जुलाई, 2026 तक
2.	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ/राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ में मूल प्रमाण—पत्रों सहित उपस्थित होकर अभिलेख सत्यापन कराया जाना	28 जुलाई से 31 जुलाई, 2026
3.	अभ्यर्थी के लॉगिन पर आवंटन की सूचना	04 अगस्त, 2026
4.	आवंटित संस्था में प्रवेश की अन्तिम तिथि	14 अगस्त, 2026

सचिव

वर्किंग प्रोफेशनल में प्रवेश के सम्बन्ध में अभ्यर्थी परिषद के निम्न हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं :—

Helpline No. : 0522-2630106, 2636589, 2630667
Email ID: jeecuphelp@gmail.com